

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 550]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2020 — कार्तिक 6, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

मदनवाड़ा, कोरकोट्टी घटना जांच हेतु गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग मुख्यालय रायपुर

(दिनांक 12 जुलाई 2009 को प्रातः जिला राजनांदगांव के मदनवाड़ा कैम्प से बाहर निकले जवानों पर नक्सलियों के द्वारा किये गये हमले से 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गये. तत्पश्चात घटना की सूचना पर तत्काल शहीद श्री विनोद चौबे, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव हमराह स्टाफ के कैम्प मदनवाड़ा की ओर बढ़ने के दौरान ग्राम कोरकोट्टी में हुये नक्सली हमले से पुलिस अधीक्षक सहित 25 पुलिस कर्मी शहीद हो गये थे. घटना की न्यायिक जांच हेतु गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग)

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2020

अधिसूचना
(अंतर्गत धारा 3, जांच आयोग अधिनियम 1952)

सर्वसाधारण को सूचना

क्रमांक/858/मदनवाड़ा कमीशन/2020. — छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-3-1/2020/एक-7 दिनांक 15 जनवरी 2020 द्वारा 12 जुलाई 2009 को प्रातः जिला राजनांदगांव के मदनवाड़ा कैम्प से बाहर निकले जवानों पर नक्सलियों के द्वारा किये गये हमले से 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गये. तत्पश्चात घटना की सूचना पर तत्काल शहीद श्री विनोद चौबे, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव हमराह स्टाफ के कैम्प मदनवाड़ा की ओर बढ़ने के दौरान ग्राम कोरकोट्टी में हुये नक्सली हमले से पुलिस अधीक्षक सहित 25 पुलिस कर्मियों के शहीद होने के घटना की न्यायिक जांच हेतु माननीय सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री शंभुनाथ श्रीवास्तव के अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है, जिसके जांच का विषय निम्न है :-

1. दिनांक 12-07-2009 को थाना मानपुर अंतर्गत ग्राम मदनवाड़ी, महका पहाड़ी ग्राम कोरकोट्टा एवं ग्राम कोरकोट्टी के निकट नक्सली घटना घटित हुई जिसमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव शहीद व्ही. के. चौबे समेत 29 पुलिस कर्मचारी शहीद हुए थे, यह घटना किन परिस्थितियों में घटित हुयी ?
2. क्या घटना को घटित होने से बचाया जा सकता था ?

3. क्या सुरक्षा की सभी निर्धारित प्रक्रियाओं-निर्देशों का पालन किया गया था ?
4. वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं सुरक्षाबलों को उक्त अभियान में जाना पड़ा ?
5. मदनवाड़ा, कारेकट्टा एवं कोरकुट्टी में पुलिस अधीक्षक एवं सुरक्षाबलों के एम्बुश में फंसने पर क्या अतिरिक्त संसाधन एवं बल उपलब्ध कराया गया ? यदि हां, तो उसको स्पष्ट करें.
6. उक्त घटना में नक्सलियों को हुए नुकसान एवं नक्सलियों के घायल/मृत होने के संबंध में जांच ?
7. उक्त घटना में मृत एवं घायल सुरक्षाबल के सदस्य किन परिस्थितियों में मृत एवं घायल हुए ?
8. घटना के पूर्व, घटना के दौरान एवं घटना के उपरांत ऐसे अन्य मुद्दे, जो घटना से संबंधित हो, इस बाबत तथ्यात्मक प्रतिवेदन ?
9. क्या राज्य पुलिस बल एवं केन्द्रीय बल के बीच में समुचित समन्वय रहा है ?
10. भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु सुरक्षा एवं प्रशासकीय कदम उठाये जाने के संबंध में सुझाव एवं उपाय ?
11. अन्य ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु जो घटना से संबंधित हो ?

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयोग का मुख्यालय रायपुर घोषित किया गया है.

अतः एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जो उपरोक्त घटना के संबंध में जानकारी रखते हैं या साक्ष्य हो या जांच आयोग को सहयोग देना चाहता हो तो वे कार्यालयीन अवधि में आयोग के सचिव कलेक्टर कार्यालय (कक्ष क्रमांक 14) रायपुर को जानकारी पंजीकृत डाक द्वारा शपथ-पत्र में संबंधित समग्र दस्तावेज जैसे आधार-कार्ड, मतदाता सूची, निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, गांव के सरपंच अथवा किसी शासकीय संस्था द्वारा प्रदत्त पहचान प्रमाण-पत्र, कृषक होने की स्थिति में खाते की स्वअभिप्रेमाणित छायाप्रतियों सहित इस अधिसूचना के प्रकाशन तिथि के 15 दिनों के भीतर हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में, हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा से भिन्न होने की दशा में ऐसी जानकारी का हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत अनुवाद सहित प्रस्तुत करें.

यदि कोई व्यक्ति घटना संबंधी प्रत्यक्ष जानकारी की साक्ष्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का इच्छुक हो, तो वे विषय-वस्तु एवं पूर्ण पता सहित आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से प्रस्तुत कर अपना पंजीयन आयोग के कार्यालय में करा सकते हैं. जांच आयोग द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली प्रक्रिया विनियम अलग से अधिसूचित की जा रही है.

सुविधा हेतु अपेक्षित शपथ-पत्र का प्रारूप संलग्न है.

आज दिनांक 27-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर से जारी.

हस्ता./-

(एन. आर. साहू)

सचिव एवं अपर कलेक्टर

मदनवाड़ा विशेष न्यायिक जांच आयोग

मुख्यालय रायपुर.

मदनवाड़ा, कोरकोट्टी घटना जांच हेतु गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग मुख्यालय रायपुर

(दिनांक 12 जुलाई 2009 को प्रातः जिला राजनांदगाँव के मदनवाड़ा कैम्प से बाहर निकले जवानों पर नक्सलियों के द्वारा किये गये हमले से 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गये। तत्पश्चात घटना की सूचना पर तत्काल शहीद श्री विनोद चौबे, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, राजनांदगाँव हमराह स्टाफ के कैम्प मदनवाड़ा की ओर बढ़ने के दौरान ग्राम कोरकोट्टी में हुये नक्सली हमले से पुलिस अधीक्षक सहित 25 पुलिस कर्मी शहीद हो गये थे। घटना की न्यायिक जांच हेतु गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग)

प्रक्रिया विनियम

आयोग के अध्यक्ष माननीय सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री शंभुनाथ श्रीवास्तव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा अधिसूचना एफ-3-1/2020-एक-7 दिनांक 15 जनवरी 2020 से अधिसूचित दिनांक 12 जुलाई 2009 को प्रातः जिला राजनांदगाँव के मदनवाड़ा कैम्प से बाहर निकले जवानों पर नक्सलियों के द्वारा किये गये हमले से 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गये। तत्पश्चात घटना की सूचना पर तत्काल शहीद श्री विनोद चौबे, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, राजनांदगाँव हमराह स्टाफ के कैम्प मदनवाड़ा की ओर बढ़ने के दौरान ग्राम कोरकोट्टी में हुये नक्सली हमले से पुलिस अधीक्षक सहित 25 पुलिस कर्मियों के शहीद होने की घटना की न्यायिक जांच हेतु गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाली प्रक्रिया विनियम निम्नानुसार होगें:-

1. आयोग की कार्यवाही सामान्यतः रूप से हिन्दी में होगी, पर कार्यवाही का कोई अंश आयोग के अध्यक्ष के आदेश/निर्देश से अंग्रेजी में भी किये जा सकेंगे।
2. आयोग का मुख्यालय रायपुर एवं शांतिनगर रायपुर स्थित राज्य स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम कियान्वयन समीक्षा समिति कार्यालय भवन स्थित कक्ष है।
3. आयोग का कार्यालय प्रतिदिन राज्य शासन द्वारा घोषित अवकाश के सिवाय सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10:30 बजे से 01:30 बजे एवं 02:00 बजे से 05:00 बजे तक खुला रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर अवकाश दिवसों में भी आयोग का कार्यालय खुला रह सकेगा।
4. सामान्यतः आयोग अपनी बैठकें रायपुर मुख्यालय स्थित कार्यालय में करेगा, परन्तु आवश्यकतानुसार बैठकें राज्य के अन्य किसी स्थान पर भी समय, तिथि और स्थान की पूर्व अधिसूचना जारी कर, की जा सकेंगी।
5. चूंकि जांच का विषय लोक महत्व का है, अतः आयोग की कार्यवाही जनसामान्य के लिये खुली रहेगी, जब तक सुरक्षा और गोपनीय की दृष्टि से प्रक्रिया में कार्यवाही के किसी अंश को आयोग के अध्यक्ष "कैमरा प्रोसिडिंग" में करना उचित न समझे।
6. आयोग के सक्षम प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र अथवा आयोग के निर्देश/मांग पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र, विधि द्वारा शपथ दिलाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष में किये गये शपथ पर तैयार, शपथ-पत्र ही आयोग में मान्य होंगे। शपथ-पत्र, समक्ष जानकारी एवं दस्तावेजों की अपेक्षित प्रतियों सहित जानकारी आयोग के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर सचिव श्री एन.आर.साहू, अपर कलेक्टर, जिला रायपुर/सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे। प्रस्तुतकर्ता ऐसे शपथपत्रों एवं प्रपत्रों की पावती प्राप्त कर सकेंगे।

7. अपेक्षित जानकारी शपथ पत्र सहित पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित किये जा सकेंगे, पर पंजीकृत डाक प्रस्तुत करने की दशा में प्रेषक का पूर्ण डाक पता लिफाफे में लिखा जाना आवश्यक होगा, जिससे यह सुनिश्चित की जा सके कि शपथ पत्र एवं प्रपत्र किस व्यक्ति द्वारा प्रेषित किये गये हैं। अपूर्ण पते वाले डाक आयोग द्वारा अस्वीकार किये जा सकेंगे।
8. शपथ पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में हो सकते हैं। अन्य किसी भाषा में होने की स्थिति में अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया उसका हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवाद नोटरी अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा अभिप्रमाणित संलग्न होने की दशा में ही आयोग द्वारा स्वीकार योग्य होंगे।
9. जानकारी के प्रत्येक शीर्ष के लिये पृथक शपथ-पत्र ही स्वीकार होंगे। यदि एक शपथ पत्र में एक से अधिक जानकारी दी जाती है तो आयोग एक से अधिक जानकारी की दशा में किसी एक जानकारी के संबंध में संज्ञान ले सकेगा।
10. प्रत्येक शपथ-पत्र प्रथम व्यक्ति के नाम पर ही कंडिकाओं में क्रमवार विभक्त होंगे। प्रत्येक विषय से संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी के तथ्य को अलग-अलग कंडिकाओं में लिखा जावेगा। शपथ-पत्र में शपथकर्ता के द्वारा अपना पूर्ण वास्तविक और विस्तृत पता एवं व्यवसाय लिखा जाना आवश्यक होगा।
11. शपथ-पत्र का कोई अंश प्राप्त जानकारी पर होने की दशा में जानकारी का पूर्ण श्रोत शपथ-पत्र में ही लिखना आवश्यक होगा। शपथ-पत्र में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि किन कंडिकाओं की जानकारी शपथकर्ता के स्वयं की है और किन कंडिकाओं की जानकारी उसे किन स्रोतों से कब प्राप्त हुई है, जिन्हें वह विश्वास करता है या सत्य समझता है।
12. शपथकर्ता अपने शपथ-पत्र में यह भी उल्लेख करेगा कि वह अपने शपथ-पत्र के समर्थन में अपना कथना कराना चाहता है एवं क्या उसका शपथ पत्र ऐसे मौखिक परीक्षण के लिये पर्याप्त नहीं होगा।
13. शपथ-पत्र मूल प्रति एवं दो अतिरिक्त प्रति सहित प्रस्तुत किये जायेंगे, जिससे आवश्यकतानुसार शपथ-पत्र की प्रति विपक्ष अथवा किसी पक्ष को प्रदाय की जा सके।
14. शपथ-पत्र के साथ विश्वास किये जाने वाले मूल दस्तावेज अथवा उसकी प्रमाणिक प्रतिलिपि प्रस्तुत की जावेगी एवं मौखिक कथन के समय ऐसे शपथकर्ता को दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मूल प्रति प्रस्तुत न होने की दशा में आयोग ऐसे सत्यापित प्रति में साक्ष्य में अस्वीकार कर सकेगी। यदि दस्तावेज की मूल प्रति शपथकर्ता के अधिकार में न हो और किसी अन्य व्यक्ति अथवा कार्यालय के अधिपत्य में हो तो शपथकर्ता अपने शपथ-पत्र में उस व्यक्ति का नाम और उसका पता/कार्यालय एवं अधिकारी का नाम/पते का उल्लेख करेगा, जिससे यह स्पष्ट हो कि वह दस्तावेज किस व्यक्ति या अधिकारी के नियंत्रण में है और किस हैसियत से है।
15. इस अधिसूचना के प्रतिउत्तर में दिये गये कथना की जांच कर आवश्यक पड़ने पर आयोग ऐसे शपथ-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को साक्ष्य (परीक्षण, प्रतिपरीक्षण) हेतु प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगा एवं उसके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के प्रकाशन पर उसका परीक्षण प्रतिपरीक्षण किया जा सकेगा।

16. साक्ष्य के कम में सर्वप्रथम प्राप्त कथनों के संबंध में साक्ष्यों का परीक्षण, प्रतिपरीक्षण किया जावेगा, ऐसे व्यक्तियों के परीक्षण, प्रतिपरीक्षण पश्चात केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन के द्वारा प्रस्तुत व्यक्तियों का कथन अभिलिखित किये जा सकेंगे।
17. आयोग उन सभी व्यक्तियों का, जिनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है और मौखिक कथन करने हेतु प्रस्तावित किया गया है के कथन/परीक्षण के लिये बाध्य नहीं है एवं ऐसे व्यक्तियों को भी अपना परीक्षण कराने का कोई अधिकार नहीं होगा।
18. जिन साक्ष्यों का मौखिक साक्ष्य अभिलिखित किया जावेगा उनके साक्ष्य अन्य पक्षकारों के प्रतिपरीक्षण के दायित्व के अधीन होंगे। अन्य पक्षकारों एवं व्यक्तियों को उनके प्रतिपरीक्षण की अनुमति आयोग द्वारा दी जा सकेगी।
19. आयोग स्वविवेक अनुसार किसी व्यक्ति का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु आहूत करने से इंकार कर सकेगा या उन्हें आहूत करने के स्थान पर प्रश्नावली के माध्यम से शपथ-पत्र पर परीक्षण हेतु अनुमति दे सकेगा।
20. आयोग किसी साक्षी को जिसका कथन अनावश्यक, असंगत, विलम्ब अथवा तंक करने के प्रयोजन से हो, अभिलिखित कराने से इंकार कर सकेगा।
21. पृथक आरोपों/बिन्दुओं पर परीक्षण एवं विचार सुविधाजनक समूहों पर पृथक-पृथक किया जावेगा।
22. आयोग स्वयं या किसी व्यक्ति अथवा पक्षकार के आवेदन पर पीटीशन शपथ-पत्र अथवा किसी दस्तावेज के अंश को काट या मिटा देगा या आयोग को प्रस्तुत कोई दस्तावेज लौटा देगा, जो कि आयोग के अनुसार असंगत, असंबद्ध, अनावश्यक, निरर्थक या बेवजह आक्रामक, फुहड़ या लोक निंदनीय हो।
23. पंजीयन विभाग से प्राप्त मूल पंजीकृत दस्तावेज मूल रूप में अथवा सत्याप्रतिलिपि नियमानुसार उनके निष्पादन के विषय में बिना किसी औपचारिक प्रमाण के ग्राह्य किये जा सकेंगे। इसी तरह शासकीय विभाग, विधि, निकाय, राज्य शासन के अधीन तथा सहकारी संस्था से संबंधित शासकीय पंजी, जिसमें कार्यालयीन टीप, आदेश आदि शामिल हैं, बिना किसी औपचारिक प्रमाण के यदि, अन्यथा कोई रियासत हेतु वैध दावा न हो, ग्राह्य होगा, जब तक कि आयोग किसी विशिष्ट प्रकरण में इसे साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी भी तरह प्रमाणित कराना न चाहे।
24. जांच आयोग अधिनियम 1952 के अंतर्गत सचिव, आयोग को समंस, सूचना पत्र आदि के हस्ताक्षर करने तथा कमीशन द्वारा जारी अन्य आदेशिकाओं पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है।
25. आयोग प्रक्रिया विनियम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/संशोधन कर सकेगा और किसी अंश को हटा सकेगा।

हस्ता./-

(एन. आर. साहू)

सचिव एवं अपर कलेक्टर

मदनवाड़ा विशेष न्यायिक जांच आयोग

मुख्यालय रायपुर.

शपथ पत्र का प्रारूप

मदनबाड़ा जांच हेतु गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग मुख्यालय
रायपुर के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु

समक्ष पब्लिक नोटरी/न्यायिक मजिस्ट्रेट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट स्थान

शपथकर्ता का विवरण —
नाम —
पिता/पति का नाम —
उम्र —
व्यवसाय —
निवास स्थान (पूर्ण पता) —
—
थाना क्षेत्र —
तहसील क्षेत्र —
जिला —
राज्य —

शपथ पत्र

मैं पिता/पति
..... उम्र वर्ष, व्यवसाय निवासी
..... शपथपूर्वक निम्नांकित कथन करता/करती हूँ :-

1. यह कि मैं उपरोक्त शपथकर्ता दिनांक को घटना के समय स्थान
पर स्वयं उपस्थित था/थी एवं मेरे समक्ष :-

(i)

(ii)

(iii)

घटना हुई, जिसका स्वयं चक्षुदर्शी हूँ।

या

मुझे इस घटना के संबंध में निम्न जानकारी :-

(i)

(ii) 3

(iii)

..... स्रोत से प्राप्त हुई है, जिस पर विश्वास करता हूँ/करती हूँ। सत्य मानता हूँ/मानती हूँ।

2. मैं अपने द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में दस्तावेजों की मूलप्रति अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर रहा हूँ/रही हूँ एवं आयोग द्वारा आहुत किये जाने पर अथवा साक्ष्य के समय दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।

शपथकर्ता / शपथकर्ती

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक निम्न सत्यापन करता हूँ/करती हूँ कि कंडिका-1 से की जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान से एवं कंडिका की जानकारी स्रोत से प्राप्त ज्ञान, जिसे मैं सत्य मानता हूँ/मानती हूँ और विश्वास करता हूँ/करती हूँ से सत्य है।

अतः आज दिनांक को स्थान में सत्यापित कर अपना हस्ताक्षर किया/की/अंगूठा निशानी लगाया/लगायी।

शपथकर्ता / शपथकर्ती

स्थान :-

दिनांक :-

3. नोट

1. शपथकर्ता से अपेक्षा है कि वे समस्त जानकारी शपथ पत्र द्वारा ही प्रदान करें।
2. शपथ पत्र में जो जानकारी शपथकर्ता के स्वयं के व्यक्तिगत ज्ञान में है और जो अन्य स्रोत से प्राप्त ज्ञान में है, उन्हें पूर्णतः स्पष्ट लिखते हुये जानकारी दें।
3. अपने पहचान के लिये शपथकर्ता, शपथ पत्र पर अद्यतन स्वयं फोटो चिपकाकर सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी/पब्लिक नोटरी/न्यायिक मजिस्ट्रेट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करावें।
4. अपने पहचान स्थापित करने के लिये शपथकर्ता निम्न दस्तावेज :-
 - (i) आधार-कार्ड
 - (ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त मतदाता परिचय पत्र
 - (iii) राशन कार्ड
 - (iv) स्थानीय मतदाता सूची, जिसमें उसका नाम उल्लेखित हो,
 - (v) स्थानीय कृषक होने से संबंधित खाता की स्वअभिप्रमाणित/पब्लिक नोटरी से अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं
 - (vi) सरपंच द्वारा प्रदत्त पहचान प्रमाण पत्र
 - (vii) किसी शासकीय संस्था द्वारा प्रदत्त पहचान प्रमाण पत्र, संलग्न करें।
5. शपथ दिलाने वाले अधिकारी अपने सील, शपथ की तिथि अभिप्रमाणित करने वाले साक्षी का पूर्ण पता, शपथ पत्र निष्पादन का स्थान और तिथि सुस्पष्ट लिखे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस विशेष प्राधिकारी के समक्ष, किस शपथकर्ता द्वार किसकी उपस्थिति में, किस दिन, किस स्थान पर शपथ लिया गया है।